न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
[illegible]/2022	28.02.2022	25.05.2023

उनवान

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रामेश्वर दयाल पौत्र श्योनारायण जाति सुनार निवासी नीमराना जिला अलवर।

वादी।

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:- प्रतिवादी।

दावा दुरूस्ती इन्द्राज
88,89 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिति:- 1 श्री अशोक निमोरिया एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादी की ओर से इकबाल जवाब दावा।

--::निर्णय::--

दिनांक :- 25.05.2023

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है--

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 873/0.29 वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 नीमराना मे स्थित हैं। जिसमे वादी मौके पर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा का वास्तविक काश्तकार मिन वादी का दादा श्योनारायण था। वादी के दादा के जीवित रहते हुए ही वादी के पिता का देहान्त हो गया था। वादी के दादा के स्वर्गवास के पश्चात वादी बिना किसी रोकटोक के आराजी पर काबिज रह कर काश्त करता आ रहा है तथा आजदिनांक तक मौके पर काबिज है, तथा राजस्व रिकॉर्ड मे भी वादी की खातेदारी " राजेन्द्र सिंह नबीरा श्योनारायण" अंकित है। आराजी पर बिना किसी रोक टोक के काबिज रहकर फसल दर फसल काश्त करता आ रहा है तथा मौके पर काबिज है। जिससे वादी को राजस्व रिकॉर्ड को देखने की व नकल प्राप्त करने की कोई आवश्कता नही पडी। जिससे हाल रिकॉर्ड की जानकारी एंव ज्ञान नही हो सका। दिनांक 21.01.2022 को किसान केडिट कार्ड की पत्रावली तैयार करे के लिए पटवारी हल्का के पास गए तब रिकॉर्ड देख करे पर पटवारी हल्का बताया कि राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के पिता का नाम रिकॉर्ड मे " श्योनारायण " अंकित है। जिस पर मन वादी को इस गलत नाम की जानकारी होने पर राजस्व रिकॉर्ड देखा व नकले प्राप्त करने पर पता चला की राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2069-72 मे मन वादी का नाम " राजेन्द्र सिंह नबीरा श्योनारायण " अंकित है। परन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारीयों चौसाला तैयार करते समय रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2073-76 मे मन वादी का नाम " राजेन्द्र सिह पुत्र श्योनारायण " अंकित कर दिया जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व खिलाफ पूर्व रिकॉर्ड के है। वादी के अन्य सभी दस्तावेजात मे वादी के पिता का नाम रामेश्वर व दादा का नाम श्योनाराण अंकित है। उक्त गलती की दुरूस्ती हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

...ई अधिकारी
...ना (अलवर)

2. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । वाद तामिल प्रति0 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया की वादी अपने वाद को स्वयं सिद्ध करे। नाम दुरूस्ती से कोई राजहित प्रभावित नही होता है।

3. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने अपने दावे की ताईद मे स्वयं का शपथ पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नगर पालिका नीमराना द्वारा जारी प्रमाण पत्र,निर्वाचन पहचान पत्र,आधार कार्ड, की छायाप्रति पेश की है। नकल जमावंदी संवत 2096–73 दौलतसिंहपुरा से यह सावित है कि आराजी विवादित वादी राजेन्द्रसिंह नवीरा श्योनारायण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड थी। जो वादी को अपने मृतक दादा श्योनारायण सुनार की विरासत मे प्राप्त हुई है। संवत 2073–76 मे राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय संवहन से वादी का नाम '' राजेन्द्र सिह पुत्र स्व0 रामेश्वर दयाल पौत्र श्योनारायण'' के बजाय '' राजेन्द्र सिंह पुत्र श्योनारायण सुनार'' अंकित कर दिया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी तथा अध्यक्ष नगरपालिका,नीमराना द्वारा दिनांक 14.03.2023 को जारी प्रमाण पत्र के अनुसार वादी के वाद की पुष्टि होती है। तथा वादी द्वारा आधार कार्ड की प्रति व निर्वाचन पहचान की प्रति से भी वादी के वाद की पुष्टि होती है जिससे वाद काविले डिक्री करार पता है।

4. अतः आदेश है किः–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी दुरूस्ती इन्द्राजात डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 873/0.29 वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा की हाल जमाबन्दी मे दर्ज राजेन्द्रसिंह पुत्र श्योनारायण जाति सुनार सा0नीमराना खातेदार दर्ज हो रहा है, उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर ''राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रामेश्वर दयाल पौत्र श्योनारायण जाति सुनार सा0नीमराना खातेदार '' दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है । तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

25/5/2023

मुकुन्द सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
71 / 2022	28.02.2022	25.05.2023

उनवान

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 रामेश्वर दयाल पौत्र श्योनारायण जाति सुनार निवासी नीमराना जिला अलवर।

वादी।

बनाम

1. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:- प्रतिवादी।

दावा दुरुस्ती इन्द्राज
88,89 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थित:- 1 श्री अशोक निमोरिया एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादी की ओर से इकबाल जवाब दावा।

दिनांक 25.05.2023

--::पर्चा डिक्री::--

वाद वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी दुरुस्ती इन्द्राजात डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 873/0.29 वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा की हाल जमाबन्दी मे दर्ज राजेन्द्रसिंह पुत्र श्योनारायण जाति सुनार सा0नीमराना खातेदार दर्ज हो रहा है, उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर "राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 रामेश्वर दयाल पौत्र श्योनारायण जाति सुनार सा0नीमराना खातेदार" दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है । तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती की जाकर अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

25/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना